

## प्रतिवेदन

1

कार्य का नाम :- जनपद पौड़ी गढ़वाल में घराट (कोटद्वार) मुण्डला मोटर मार्ग के कि०मी० 0.00 से 10.00 कि०मी० के अन्तर्गत वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

जनपद पौड़ी गढ़वाल में घराट (कोटद्वार) मुण्डला मोटर मार्ग निर्माण हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति शा०सं० 2454/III (2)/05-07 (प्रा०आ०)/05 टी०सी० दि० 28/10/05 द्वारा लम्बाई 10.00 कि०मी० हेतु रू० 139.00 लाख मात्र की प्राप्त है, इस मार्ग का संरेखण कोटद्वार में घराट नामक स्थान से प्रारम्भ कर लैन्सडौन वन प्रभाग कोटद्वार की आरक्षित वन भूमि/वन पंचायत भूमि/नाप भूमि से किया गया है।


प्रस्तावित मोटर मार्ग का संरेखण लैन्सडौन वन प्रभाग कोटद्वार रेंज क्षेत्रान्तर्गत निम्न प्रकार की भूमि से होकर किया गया है।


क्र० सं०	भूमि का प्रकार	लम्बाई मी० में	क्षेत्रफल (हे० में)
1	आरक्षित वन भूमि	6200	5.580
2	वन पंचायत भूमि	2800	2.520


प्रस्तावित मार्ग के संरेखण हेतु 9.00 मी० चौ० में वन भूमि हस्तान्तरण किया जाना प्रस्तावित है। भूमि हस्तान्तरण हेतु  $9000 \text{ मी०} \times 9.00 \text{ मी०} = 8.100 \text{ हे०}$  वन भूमि हस्तान्तरण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव गठित किया गया है। प्रस्तावित मोटर मार्ग निर्माण हेतु अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है।

प्रस्तावित मोटर मार्ग के संरेखण पर प्रस्तावित वन भूमि आरक्षित वन भूमि/वन पंचायत भूमि आवश्यकता के आधार पर ली गई है। इससे कम भूमि में मोटर मार्ग का निर्माण कार्य किया जाना संभव नहीं है।

अतः व्यापक जनहित में प्रस्तावित मोटर मार्ग निर्माण हेतु 8.100 हे० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरित करने हेतु प्रस्ताव गठित कर स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

  
अमान  
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०  
दुगड्डा-गढ़वाल

  
सहायक अभियन्ता  
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०  
दुगड्डा-गढ़वाल

  
अधिशासी अभियन्ता  
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०  
दुगड्डा-गढ़वाल